न्यायालयः अपर सैशन न्यायाधीश महवा, जिला दौसा(राज.)

पीठासीन न्यायाधीश: आशुतोष गोसिन्हा (यू०आई० डी० आर जे 00699)

सैशन प्रकरण संख्या–149/2020,

सी आई एस नं0 92/2020

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

बनाम

1– गैंदी देवी पत्नी जतनसिंह, जाति मीणा, निवासी बनावड, थाना मण्डावर, जिला दौसा।

2– बनवारीलाल पुत्र जतनसिंह, जाति मीणा, निवासी बनावड, थाना मण्डावर, जिला दौसा।

3– जतनसिंह पुत्र मरदान, जाति मीणा, निवासी बनावड, थाना मण्डावर, जिला दौसा। **(फौत दिनांक 10–02–2025)**

4– रामावतार पुत्र जतनसिंह जाति मीणा, निवासी बनावड, थाना मण्डावर, जिला दौसा। (**निर्णय दिनांक 20–06–2014**)

–अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 304 बी भा0 दं0 सं0

उपस्थिति:

1. श्री रतनचंद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. श्री ओमप्रकाश बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

–निर्णय– दिनांक: 07.03.2026

1. **प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रामवतार के संबंध में निर्णय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बांदीकुई कैम्प महवा के द्वारा दिनांक 20.06.02014 को किया जा चुका है। दौराने विचारण अभियुक्त जतनसिंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2025 के द्वारा कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।**

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बनवारी एवं गैंदी देवी के संबंध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी जगराम में दिनांक 18–08–2012 को पुलिस थाना मण्डावर में तहरीरी रिपोटर् प्रदशर् पी 4 इस आशय की दजर् कराइर् कि उसके बेटे की पुत्री सुमन की शादी दिनांक 29–11–2010 को रामौतार पुत्र जतनसिंह जाति मीणा निवासी बनावड़ के साथ हुयी थी। शादी में उसने अपनी सामथ्यर् अनुसार काफी सामान दिया था, लेकिन उसकी लड़की के ससुराल वाले शादी में दिये गये सामान से खुश नहीं हुए और शादी के समय से ही लडकी का पति रामौतार, ससुर, जतनसिंह, जेठ बनवारी, रामप्रसाद, सास गेंदी, ननद ललिता, सरिता शादी के समय से ही और दहेज लाने के लिए ताने मारते तथा उसकी लड़की सुमन को मारपीट करते तथा भूखा रखते एवं घर से भगा देते। परिवार के सदस्यों द्वारा समझाने पर दिनांक 12–08–2012 को उसने रामौतार के लिवाने आने पर अपनी पुत्री सुमन को काफी सामान देकर विदा किया लेकिन दहेज के लोभी इन सभी ने आज दिनांक 18–08–2012 को उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर हत्या कर दी और जिसकी सूचना गांवों पर देने पर बनावड़ पहुंचे वहां कोइर् नहीं मिला, फिर अलवर अस्पताल में गये। वहां अभियुक्तगण कोई नहीं मिला एवं उसकी पुत्री की लाश पडी मिली.....इत्यादि तहरीरी रिपोर्ट पर प्र० सू० रि० सं० 160/2012 अपराध अन्तर्गत धारा 147,323,304 बी भा० दं० सं० में दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 406, 323 भा० दं० स० में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मामला सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को कमिट किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 304बी भा. दं. सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन की ओर से गवाह मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 लक्ष्मणसिंह, पी.ड. 2 बदनसिंह, पी.ड. 3 सुन्दरलाल, पी.ड. 4 सुरेशचंद, पी.ड. 5 इन्द्रकुमार, पी.ड. 6 रामचरण, पी.ड.7 दयाचंद, पी.ड. 8 माया, पी.ड. 9 ममता, पी.ड. 10 तारासिंह, पी.ड. 11 डा. श्रीराम कडवासरा, पी.ड. 12 बनवारीलाल, पी.ड. 13 भरतलाल, पी.ड. 14 प्रहलाद, पी.ड. 15 सुमन को पेश कर परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह माया, ममता, दयाचंद क्रमशः प्रदर्श पी 1,2 व 3, रिपोर्ट तहरीरी प्रदर्श 4, नक्शा मौका प्रदर्श पी 5, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श 6, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 7, बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह जगराम, रामचरण, फूलीदेवी क्रमशः प्रदर्श पी 8,9 व 10, तितम्बा बयान फूलीदेवी प्रदर्श पी 11, बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह दौलतराम प्रदर्श पी 12, तितम्बा बयान दौलतराम प्रदर्श पी 13, बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह अमरसिंह प्रदर्श पी 14, तितम्बा बयान अमरसिंह प्रदर्श पी 15, बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह रतनसिंह, मुरारीलाल, रामचरण, रामखिलाडी क्रमशः प्रदर्श पी 16, 17, 18, 19, चार्जशीट प्रदर्श पी 20, एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी 21, फर्द गिरफ्तारी रामावतार प्रदर्श पी 22, फर्द बरामदगी स्त्रीधन प्रदर्श पी 23, फर्द नक्शा बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 24, फर्द गिरफ्तारी गेंदीदेवी प्रदर्श पी 25, फर्द गिरफ्तारी जतनसिंह प्रदर्श पी 26 को परीक्षित करवाया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लिये गये। अभियुक्तगण ने गवाहों की साक्ष्य को गलत होना बताया एवं अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैंः-

1. "क्या अभियुक्तगण ने परिवादी जगराम की पुत्री सुमन को विवाह के उपरान्त कम दहेज लाने के ताने दिये, उसके साथ दहेज के लिए मारपीट कर शारीरिक व मासिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, सुमन के विवाह में दिये गये स्त्रीधन को मृत्यु से पूर्व

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

मांगने पर नहीं लौटाया, कुंद हथियार से मारपीट की, तथा उसकी दहेज हत्या कारित की ?

2. यदि हां तो दण्डादेश क्या होगा'' ?

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक का दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध भली–भांति प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि परिवादी दयाचंद ने तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित कथनों की पुष्टि न्यायालय के समक्ष नहीं की है, मुख्य साक्षी पी० ड० 7 दयाचंद मृतका का चाचा एवं पी० ड० 10 तारासिंह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, परिवादी को अभियोजन द्वारा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा जो साक्षीगण पेश किये गये हैं, वे औपचारिक साक्षी है, जिनकी साक्ष्य से अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवदेन किया है।

9. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त साक्ष्य के क्रम में पत्रावली का समग्रतापूर्वक अवलोकन करें तो प्रकट है कि जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत कमलेश पंजीयार बनाम बिहार राज्य दांडिक अपील संख्या 205/2005 निर्णय दिनांक 01.02.2005 में यह अभिनिर्धारित कर निर्देशित किया है कि धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के अपराध को साबित माने जाने के संबंध में अभियोजन को मुलजिमान के विरूद्ध कौन से घटक/तथ्य साबित किये जाने होंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में इस संबंध में यह अभिनिर्धारित किया हैः-

** In order to attract application of Section 304-B IPC, the essential ingredients are as follows:

(i) The death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise than under a normal circumstance.

(ii) Such a death should have occurred within seven years of her marriage.

(iii) She must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband.

(iv) Such cruelty or harassment should be for on in connection with demand of dowry.

(v) Such cruelty or harassment is shown to have meted out to be the woman soon before her death. ''

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

10. उपरोक्त अपराध के घटित होने के आवश्यक तत्वों के विश्लेषण के संबंध में जब हम पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, तो यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि मृतका सुमन का विवाह अभियुक्त रामोतार के साथ दिनांक 29.11.2010 को हुआ था तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 18.08.2012 को हुई थी। इस प्रकार यह तथ्य पूर्णतः निर्विवादित व साबित है कि मृतका सुमन की मृत्यु मुलजिम रामोतार के साथ विवाह होने के सात वर्ष के भीतर हुयी थी।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में अभिनिर्धारित अपराध अन्तर्गत धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के आवश्यक घटकों में यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि अभियोजन को अपनी साक्ष्य द्वारा यह साबित करना होगा कि पीडिता की मृत्यु दाह या शारिरिक क्षति या सामान्य परिस्थिति से अन्यथा परिस्थिति में मृत्यु कारित हुयी है। इस संबंध में जब हम समस्त पत्रावली का अवलोकन करते है तो यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि परिवादी जगराम ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 4 में मृतका की मृत्यु दिनांक 18.08.2012 को होना बताया गया है तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 4 पुलिस थाना मण्डावर में दिनांक 18.08.2012 को पेश की गई है अर्थात मृतका की मृत्यु होने के तुरन्त पश्चात उसी दिन पुलिस थाना मण्डावर में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना दर्शित है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी0 7 हुआ है, जिसमें मृतका की मृत्यु पंचान की राय के अनुसार अंकित किया गया है कि ’’मृतका की मौत के बारे में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि मृतका की झगडे में आई चोटों एवं जहरीली वस्तु के कारण हुई है, यह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चल सकता है’’। इस प्रकार प्रदर्श पी0 7 पंचनामा में मृतका की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट कथन अंकित नहीं किये गये है। अभियोजन द्वारा पंचनामा के साक्षीगण पी0 ड0 1 लक्ष्मण सिंह एवं पी0 ड0 2 बदन सिंह तथा पी0 ड0 3 सुन्दरलाल को पेश कर परीक्षित किया गया है, इन तीनों ही साक्षीगणों को पंचनामा प्रदर्श पी0 7 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। इन तीनों ही साक्षियों के कथनों से मृतका सुमन की मृत्यु के बाद पंचनामा प्रदर्श पी0 7 बनाये जाने की पुष्टि होती है।

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

12. मृतका की मृत्यु के पश्चात मृतका का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी0 20 चिकित्सक साक्षी श्रीराम कडवासरा के द्वारा किया गया है, जिसे अभियेाजन द्वारा पी0 ड 0 11 डा0 श्रीराम कडवासरा के रूप में पेश कर परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में स्वयं को दिनांक 19.8.2012 को सामान्य चिकित्सालय अलवर में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत होना व उक्त दिन मृतका सुमन की लाश का पोस्टमार्टम जरिए फर्द प्रदर्श पी0 20 किया जाना बताया है। इस साक्षी का यह कहना है कि उसकी राय के मुताबिक मृत्यु का कारण जानने के लिए एफ 0 एस 0 एल 0 रिपोर्ट के अधीन राय रिजर्व रखी गयी थी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण चिकित्सकीय साक्षी के कथनों से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था।

13. यहां यह अवलोकनीय है कि परिवादी जगराम की मृत्यु होने के कारण वह साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका है। ऐसे में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य पर विचार करना होगा।

14. साक्षी पी0 ड 0 6 रामचरण जो कि मृतका का पिता है, इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में यह कहा है कि सुमन उसकी बेटी थी, सुमन की शादी बनावड निवासी रामावतार के साथ हुई थी, सुमन की मृत्यु कैसे हुई थी, उसे जानकारी नहीं है, लेकिन सुमन की लाश उनको अलवर अस्पताल में मिली थी, अलवर अस्पताल में सुमन की लाश की क्या कार्यवाही हुई थी उसे पता नहीं है, सुमन की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 07 उसके सामने बनाया था, जिसकी पहचान उसने की थी। सुमन की मृत्युस्थल का नक्शा मौका प्रदर्शि पी0 5 पुलिस ने उसके सामने बनाया था। प्रतिपरीक्षहा में गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अस्पताल में लोगों ने उसको बताया हो कि उसकी बेटी की मृत्यु चूहे की दवा खाने से हुई हो। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी बेटी सुमन को मुलजिमान ने दहेज हेतु परेशान नहीं किया हो। यह स्वीकार किया है कि सुमन के ससुराल वालो ने उससे तथा सुमन से दहेज में कार की मांग नहीं की थी। सुमन मरने से दो माह पहले घर आई थी तथा उस समय सुमन ने उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट तथा दहेज की मांग की बात उनको नहीं बताई थी, सुमन को

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वाले राजीखुशी रखते थे ऐसा उसने पूर्व में न्यायालय में बयान दिये थे।

15. इस प्रकार यह साक्षी, जो कि मृतका का पिता है, इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी04 में अंकित कथनों की लेशमात्र भी ताईद नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि सुमन की मृत्यु कैसे हुई थी, उसे जानकारी नहीं है, लेकिन सुमन की लाश उनको अलवर अस्पताल में मिली थी, अलवर अस्पताल में सुमन की लाश की क्या कार्यवाही हुई थी उसे पता नहीं है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सुमन के ससुराल वालो ने उससे तथा सुमन से दहेज में कार की मांग नहीं की थी, सुमन मरने से दो माह पहले घर आई थी तथा उस समय सुमन ने उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट तथा दहेज की मांग की बात उनको नहीं बताई थी, सुमन को उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वाले राजीखुशी रखते थे ऐसा उसने पूर्व में न्यायालय में बयान दिये थे। यद्यपि इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, किन्तु इस साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

16. साक्षी पी0 ड 0 7 दयाचंद जो कि मृतका का चाचा है, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुमन उसके भाई रामचरण की बेटी थी, सुमन उसकी भतीजी है, सुमन की शादी रामावतार निवासी बनावड के साथ करीब 12-13 साल पहले हुई थी, शादी में दहेज में मोटरसाईकिल, बर्तन, बेड, आलमारी, वाशिंग मशीन आदि तथा एक लाख ग्यारह हजार रूपये नकद दिये थे, सुमन की शादी के करीब एक साल बाद सुमन को ससुराल भेज दिया था, सुमन के साथ उसके ससुराल में क्या घटना घटी उसे पता नहीं है, सुमन की मृत्यु कैसे हुई थी उसे पता नहीं है। सुमन की मृत्यु की सूचना उसे पुलिस द्वारा मृत्यु के दिन ही मिल गई थी, सुमन की मृत्यु कैसे हुई उसका बाद में भी उसे पता नहीं लगा था। इस साक्षी को अभियोजन की अनुशंषा पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर गवाह का कहना है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 का जी से एच भाग सही है, उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया था, उसके भाई रामचरण ने मुलजिमान से

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

राजीनामा कर लिया हो तो उसकी जानकारी नहीं है। बचावपक्ष को अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

17. इस प्रकार यह साक्षी भी प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह है, किन्तु इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

18. साक्षी पी0 ड0 8 माया, जो कि साक्षी पी0 ड0 7 दयाचंद की पत्नी है एवं रिश्ते में मृतका की चाची लगती है, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुमन उसकी भतीजी लगती थी, सुमन की शादी बनावड निवासी रामावतार के साथ हुई थी, रामावतार शराब पीकर सुमन के साथ मारपीट करता था, रामावतार कार की मांग करता था, सुमन से उसका जेठ, ननद, सास, ससुर सभी कार की मांग करते थे तथा मारपीट करते थे। सुमन को रामावतार ने जहर देकर मारा था, सुमन मरने से पांच सात दिन पहले ही घर से गई थी, सुमन जब घर आई थी तब उसको अजमेर से मारपीट कर भगाने बाद घर आई थी, सुमन जब अजमेर से आई थी तब उसके उसने चोटें देखी थी।

19. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया है कि इसी प्रकरण में 10-11 साल पहले उसके न्यायालय में बयान हुये थे, सुमन को मारते हुये नहीं देखा था, उसने सुमन को उसके ससुराल वालों द्वारा जहर देकर मारते नहीं देखा था, उसके सामने सुमन के ससुराल वालों ने दहेज नहीं मांगा तथा उसके सामने उसके ससुराल वालों ने सुमन के साथ मारपीट भी नहीं की थी। यह स्वीकार किया है कि उसने पूर्व में इस प्रकरण में सुमन को दहेज की मांग हेतु परेशान करने तथा मारपीट करने बाबत् बयान दिये थे। सुमन को जहर देकर मारने की बात उसने पुलिस को बताई या नहीं उसे पता नहीं है।

20. इस प्रकार इस साक्षिया ने मुख्य परीक्षा में सुमन की शादी बनावड निवासी रामावतार के साथ होनरा, रामावतार शराब पीकर सुमन के साथ मारपीट करना, रामावतार द्वारा कार की मांग करना, सुमन से उसका जेठ, ननद, सास, ससुर सभी कार की मांग करना व मारपीट करना, सुमन को रामावतार के द्वारा जहर देकर मारने का कथन किया है। किन्तु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षिया ने मुख्य परीक्षा में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए कहा है कि सुमन को मारते

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

हुये नहीं देखा था, उसने सुमन को उसके ससुराल वालों द्वारा जहर देकर मारते नहीं देखा था, उसके सामने सुमन के ससुराल वालों ने दहेज नहीं मांगा तथा उसके सामने उसके ससुराल वालों ने सुमन के साथ मारपीट भी नहीं की थी। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी कथन होने के कारण इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति की प्रकट नहीं होती है। इसके अलावा यहां यह भी अवलोकनीय है कि जिस अभियुक्त रामवतार के द्वारा दहेज मांगने, मारपीट किये जाने एवं जहर देकर मारने का कथन किया है, उस अभियुक्त रामवतार को न्यायालय के आदेश दिनांक 20.6.2014 के द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।

21. साक्षिया पी0 ड0 9 ममता जो कि मृतका सुमन की मां है, जो कि इस प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षिया है, इस साक्षिया ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि सुमन उसकी बेटी थी, सुमन की शादी बनावड निवासी रामावतार के साथ आज से 12-13 साल पहले हुई थी, सुमन की शादी में मोटरसाईकिल, चैन अंगूठी, कूलर, पंखा, फ्रिज, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, अनाज भरने की कोठी तथा बर्तन दिये थे, सुमन को हार, चूडी, कान में पहनने का, नथ टीका आदि दिये थे, सुमन जब ससुराल दुबारा गई थी तब उससे रामावतार, उसकी सास, जेठ तथा परिवार के लोगों ने कार की मांग की थी, दहेज की मांग को लेकर सुमन के साथ मारपीट करते थे, सुमन को रामावतार ने जहर देकर दहेज कम देने के कारण मारा था, सुमन मरने से सात आठ दिन पहले हमारे घर आई थी तब सुमन को बहला फुसलाकर ले वापस ले गये थे, सुमन जब घर आई थी तब सुमन को रामावतार ने मारपीट कर घर से भगा दिया था, सुमन का जेवर तथा दहेज में दिया गया सामान सुमन के ससुराल वालों के पास ही है।

22. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में रामावतार के सम्बन्ध में उसके न्यायालय में पूर्व में बयान हुये थे, सुमन की शादी में दिये गये दहेज तथा जेवरात का बिल न्यायालय में पेश नहीं किया है तथा ना ही पुलिस को दिया है, सुमन के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट करते उसने नहीं देखा है। उसने सुमन को जहर देते हुये नहीं देखा था, उसने पूर्व के बयान में सुमन को दहेज की मांग को लेकर परेशान करने, सुमन के साथ मारपीट करने की बात बताई थी या नहीं, उसे आज ध्यान नहीं है।

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

23. इस प्रकार इस साक्षिया ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त रामावतार के द्वारा सुमन से दहेज की मांग करना, उसके साथ मारपीट करना एवं उसे जहर देकर मारने का कथन मुख्य परीक्षा में किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षिया ने सुमन के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट करते उसने नहीं देखना व सुमन को जहर देते हुये नहीं देखने का कथन किया है। जिस अभियुक्त रामवतार के संबंध में यह साक्षिया साक्ष्य देती है, उस अभियुक्त रामवतार को न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है।

24. साक्षी पी0 ड0 10 तारासिंह एवं पी0 ड0 14 प्रहलाद प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण है, किन्तु दोनों ही साक्षीगणों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और पूर्णरूण से पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनकी साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई मदद नहीं मिलती है।

25. साक्षी पी0 ड0 15 सुमन कानि0 फर्द गिरफ्तारी से संबंधित साक्षी होकर फर्द गिर0 अभियुक्ता गैंदीदेवी एवं मुलजिम जतनसिंह प्रदर्श पी0 25 एवं पी0 26 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। साक्षी पी0 ड0 13 भरतलाल जब्तशुदा माल को एफ0 एस0 एल0 में जमा कराने का साक्षी रहा है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में प्र0 सं0 160/12 में जब्तशुदा माल को मालखाना इंचार्ज से तीन सीलबंद पैकिट प्राप्त कर मालखाने में जमा करवाना एवं प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी0 21 होना कहा है। इसी क्रम में साक्षी पी0 ड0 4 सुरेशचंद कानि0 एवं पी0 ड0 5 इन्द्रकुमार कानि0 फर्द जब्ती जार प्रदर्श पी0 8 से संबंधित साक्षी होकर औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देते हैं। साक्षी पी0 ड0 12 बनवारीलाल के द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श पी0 20 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने व उस पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज हत्या के अपराध का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग करके मृतका को जहर देने के कारण हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में मौके की भौतिक साक्ष्य के रूप में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं जुटाई गयी या एकत्रित की गयी है जिससे यह दर्शित हो कि मौके पर ऐसे कोई अलामात पाये गये हों, जिससे यह दर्शित हो कि मृतका तथा अभियुक्तगण के मध्य कोई घटना कारित करने से पूर्व संघर्ष रहा हो, प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की मृत्यु गवाहान की मौखिक

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

साक्ष्य के अनुसार जहर खाने से होना बताया गया है, चिकित्सक साक्षी पी0 ड0 11 डा0 श्रीराम ने मृतका की मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.0 20 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है, किन्तु इस साक्षी का कहना है कि उसकी राय के मुताबिक मृत्यु का कारण जानने के लिए एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के अधीन राय रिजर्व रखी गयी थी, किन्तु एफ0 एस0 एल0 रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। ऐसे में एफ0 एस0 एल रिपोर्ट के अभाव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था। साक्षी पी0 ड0 9 ममता (मृतका की मां), पी0 ड0 8 माया (मृतका की चाची) के बयानों में यह आया है कि अभियुक्त रामवतार ने मृतका को दहेज देकर मारा है, किन्तु जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि अभियुक्त रामवतार को पूर्व में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अभियुक्त रामवतार के संबंध में विस्तृत विवेचन किये जाने का कोई औचित्य इस प्रक्रम पर प्रकट नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में उल्लेखित अपराध अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के साबित माने जाने पर आवश्यक घटक के रूप में अभियोजन को यह तथ्य भी साबित किया जाना है कि, क्या मृतका को मुलजिमान द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता, तंग व परेशान किया गया, इस तथ्य को साबित किये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षीगण, जो कि मृतका के परिवारजन ना हो, के रूप में पी0 ड0 10 ताराचंद एवं पी0 ड0 14 प्रहलाद को पेश कर परीक्षित कराया गया है, किन्तु ये दोनों ही साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया हैं।

27. इस संबंध में परिवादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण, जो कि मृतका के परिजन है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षीगण पी0 ड0 7 दयाचंद (मृतका का चाचा) पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं पी0 ड0 8 माया (मृतका का चाची), पी0 ड0 9 ममता (मृतका का मां) की साक्ष्य के संबंध में पूर्व में ऊपर विवेचन किया जा चुका है, जिनकी साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को यह तथ्य प्रस्तुत साक्ष्य से साबित करना होगा कि मुलजिमान द्वारा मृतका से दहेज के लिए क्रूरता व तंग, परेशान उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व तक भी किया गया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत सतवीर बनाम हरियाणा राज्य दाण्डिक अपील संख्या 1735-1736/2010 निर्णय दिनांक

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

28.05.2021 में उक्त वाक्यांश ''मृत्यु से कुछ पूर्व'' के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "The phrase "soon before" as appearing in Section 304-B, IPC cannot be construed to means 'immediately before'. The prosecution must establish existence of "proximate and live link" between the dowry death and cruelty or harassment for dowry demand by the husband or his relatives." अर्थात वाक्यांश ''मृत्यु से कुछ पूर्व'' का अर्थ तुरन्त पहले नहीं हैं, मृत्यु तथा उस संबंध में दहेज के लिए क्रूरता एवं तंग एवं परेशान किये जाने के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संबंध दर्शित होना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक दहेज की मांग को लेकर क्रूरता, तंग एवं परेशान किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष साक्ष्य का पूर्णरूप से अभाव रहा है। जैसा की उपरोक्त उल्लेखित किया गया है मृतका से विवाह के पश्चात से लगातार दहेज की मांग किया जाना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अभियोजन इस तथ्य को क्रमबद्ध रूप से तथा कडी से कडी को जोडते हुए मुलजिमान के विरूद्ध साबित किये जाने में युक्तियुक्त संदेह से परे सफल नहीं रहा है कि विवाह के पश्चात से लेकर मृतका सुमन की मृत्यु होने तक विभिन्न समयावधियों में अनवरत व लगातार रूप से मृतका को दहेज के लिये तंग व परेशान किया जाता रहा हो और यह क्रम मृतका की मृत्यु होने की दिनांक से बिल्कुल पूर्व तक भी जारी रहा हो।

28. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह तथ्य दर्शित होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत कमलेश पंजीयार बनाम बिहार राज्य में अपराध अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता को प्रमाणित माने जाने के संबंध में निर्देशित आवश्यक तत्वों में से अभियोजन यह तथ्य तो साबित किये जाने में सफल रहा है कि मृतका सुमन की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारणों से हुई है, परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत में अभिनिर्धारित अन्य आवश्यक तथ्यों में से इस तथ्य को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे मुलजिमान के विरूद्ध साबित नहीं कर सका है कि उक्त मृत्यु मुलजिमान द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर उसे तंग व परेशान किये जाने के फलस्वरूप हुई हो तथा मुलजिमान द्वारा ऐसी कोई मांग उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक की जाती रही हो। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय में इसी संदर्भ में यह भी निर्देशित किया है कि यदि

अपराध अन्तर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता को गठित करने वाले आवश्यक तत्वों में किसी एक तत्व की भी अभियोजन साबित करने में असफल रहे तो मुलजिमान को अपराध अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

29. जहां तक मुलजिमान के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की उक्त धारणा किये जाने का अभियोजन अधिकारी का तर्क है तो उस संबंध में यह स्पष्ट कर देना उचित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत बंशीलाल बनाम हरियाणा राज्य दाण्डिक अपील संख्या 13/2004 निर्णय दिनांक 14.01.2011 तथा सतवीर बनाम हरियाणा राज्य दाण्डिक अपील संख्या 1735-1736 / 2010 निर्णय दिनांक 28.05.2021 में यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी मामले में अपराध आरोप अंतर्गत धारा 304 बी को गठित करने वाले आवश्यक तत्वों को यदि अभियोजन मुलजिमान के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दे तभी उसके विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उक्त धारणा किया जाना न्यायसंगत है। जैसा कि उपरोक्त विश्लेषित किया गया है अभियोजन मुलजिमान के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के सभी आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है अतः ऐसी स्थिति में मुलजिमान के विरूद्ध दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 113 बी भारतीय दण्ड संहिता की कोई धारणा किया जाना भी न्यायसंगत नहीं है। अतः अभियोजन का उक्त तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

30. जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498 ए, 406, 323 भा0 दं0 सं0 के आरोप का प्रश्न है, जैसा कि उपरोक्त रूप से उल्लेखित किया गया है कि अभियोजन ने इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे मुलजिमान के विरूद्ध साबित नहीं किया है कि मुलजिमान ने मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर उसे किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की हो। मृतका के विवाह के लेकर मृत्यु होने के मध्य स्वयं परिवादी व उसके परिवारजन साक्षीगण विभिन्न समय पर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट व क्रूरता कारित करना मौखिक रूप से कहते हैं परन्तु ऐसा कोई तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है कि उन्हें उक्त तथ्य की जानकारी होने के बाद भी मुलजिमान द्वारा कोई कार्यवाही की

हो। दहेज की मांग किये जाने के तथ्य को अभियोजन द्वारा किन्हीं अन्य स्वतन्त्र साक्षीगण से साबित नहीं कराया गया है।

31. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगणों की साक्ष्य से यह तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि मुलजिमान द्वारा किस स्त्रीधन या सम्पत्ति जो कि मृतका से संबंधित हो का आपराधिक आशय से दुर्विनियोग किया हो या मृतका को उपयोग करने से रोका गया हो। अतः इस प्रकार अभियोजन मुलजिमान के विरूद्ध अपराध आरोप अंतर्गत धारा 498 ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता को भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।

32. अपराध अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण व विवेचन-

33. उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष दर्शित हुआ है कि मृतका संगीता की मृत्यु भारतीय दण्ड संहिता में उल्लेखित दहेज मृत्यु अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता की परिधि में नहीं आती है परन्तु यह तथ्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साबित हुआ है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न असामान्य परिस्थितियों में हुई है तथा यह भी तथ्य साबित है कि उसकी मृत्यु होमीसाईडल न होकर सुसाईडल प्रकृति की थी। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिये यद्यपि उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दंड संहिता का मुलजिमान पर आरोप नहीं है परन्तु उक्त अपराध की विद्यमानता मुलजिमान के विरूद्ध साबित होने या ना होने के बाबत विश्लेषण किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है। अपराध अन्तर्गत धारा 306 के संबंध में न्यायालय को यह देखा जाना है कि मृतका की मृत्यु जो सुसाईडल प्रकृति की होना पाई गई है क्या वह मुलजिमान के किसी दुष्प्रेरण के फलस्वरूप थी। जैसा की उपरोक्त विष्लेषण से साबित है अभियोजन इस तथ्य को साबित नहीं कर सका है कि मुलजिमान द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन मृतका के आत्महत्या किये जाने के पीछे के कारणों को समुचित साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है। अतः इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार मुलजिमान के विरूद्ध धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

आरोप में अंतर्गत धारा 222 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही किये जाने के या निर्णय पारित किये जाने के कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध होना यह न्यायालय नहीं पाता है।

34. ऐसी स्थिति में साक्ष्य के उपरोक्त तमाम विवेचन के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने परिवादी जगराम की पुत्री सुमन को विवाह के उपरान्त कम दहेज लाने के ताने दिये, उसके साथ दहेज के लिए मारपीट कर शारीरिक व मासिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, सुमन के विवाह में दिये गये स्त्रीधन को मृत्यु से पूर्व मांगने पर नहीं लौटाया, कुंद हथियार से मारपीट की तथा उसकी दहेज हत्या कारित की। ऐसे में उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 406, 323 भा0 दं0 सं0 के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण धारा 498 ए, 304 बी, 406, 323 भा0 दं0 सं0 के आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

-आदेश-

35. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1–गैंदी देवी पत्नी जतनसिंह, जाति मीणा, निवासी बनावड, पीएस मण्डावर, जिला दौसा, 2– बनवारीलाल पुत्र जतनसिंह, जाति मीणा, निवासी बनावड, पीएस मण्डावर, जिला दौसा को धारा 498 ए, 304 बी, 406, 323 भा0 दं0 सं0 के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

36. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन,दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के अन्तर्गत, अभियुक्तगण, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10-10 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

37. प्रस्तुत प्रकरण में मुलजिमान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, ऐसे में परिवादीपक्ष को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाया जाना यह न्यायालय उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायोचित नहीं पाता है।

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699

38. प्रस्तुत प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त जतनसिंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2025 के द्वारा कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा,जिला-दौसा(राज.)

39. यह निर्णय आज दिनांकः 07.03.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा,जिला-दौसा(राज.)

आशुतोष गोसिन्हा
अपर सैशन न्यायाधीश महवा
यू०आई० डी० आर जे 00699